कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34835/2017 दिनांक : 30-5-2019

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)

विषयः– प्रयोगशाला सहायक से अधिशेष घोषित कर तृतीय श्रेणी अध्यापक बनाये गये कार्मिकों को एसीपी देने के सम्बन्ध में ।

——

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः शिविरा/संस्था/एफ–2/12240/97 दिनांक 10.10.97 के द्वारा अधिशेष घोषित प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर समायोजित करने के निर्देश दिये गये थे उक्त निर्देशों की अनुपालना में अधिशेष घोषित प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर समायोजित किया गया था । वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफ.डी. रूल 2008–I दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत (Regular service for grant of benifits under the A.C.P. Scheme shall be counted for the date of Joining of a post in direct Entry grade on the regular basis on the direct recruitment.) एसीपी देने का प्रावधान है । यदि किसी समायोजित कार्मिक की बी.एड. एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 18 वर्षीय एसीपी की देयता तिथि से पूर्व की तिथि को वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति हो जाती है उन मामलों में 31.12.09 के प्रावधानों के अन्तर्गत 18 वर्षीय एसीपी पर आगामी ग्रेड पे स्वीकृत की जाकर 27 वर्षीय एसीपी पर आदेश दिनांक 31.12.09 एवं 30.10.17 के एसीपी प्रावधानों के अन्तर्गत 5400/– ग्रेड पे /लेवल–13 में एसीपी देय है । यदि किसी कार्मिक की व्याख्याता या प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के समकक्ष राज्य सेवा के स्तर के पद पर पदोन्नति हो चुकी हो तो उक्त कार्मिक को 10, 20 व 30 वर्षीय एसीपी नियमों के तहत एसीपी देने का प्रावधान है । अतः एसीपी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त निदेशक कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लेखाकर्मी से प्रकरण की जांच कराते हुए एसीपी स्वीकृति की कार्यवाही की जावे । उक्त आदेशो के सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों को अपने स्तर पर अवगत करावें ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर